उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण की 48वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 16.09.2013 का कार्यवृत्त एवं निर्णय

उपस्थिति

1	श्री संजीव सरन आई0ए0एस0	आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/अध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण।	अध्यक्ष
2	श्री विजय किरन आनन्द आई0ए0एस0	जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव।	उपाध्यक्ष
3	श्री मनमोहन मिश्र	अपर निदेशक, कोषागार लखनऊ मण्डल, लखनऊ	सदस्य
4	श्रीमती इन्दू बाला कटियार	अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
5	श्री शेर सिंह	सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।	सदस्य
6	श्रीमती सुषमा तिवारी	अपर सां0 अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, लखनऊ।	सदस्य
7	श्री जे0 पी0 तिवारी	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–1 प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।	सदस्य
8	श्री वी0 एस0 गंगवार	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, उन्नाव, प्रतिनिधि, प्रबंध निदेशक, जल निगम, उ0 प्र0।	सदस्य
9	श्री मनोज गुप्ता	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, गंगाघाट।	सदस्य
10	श्री इस्माइल खान	नामित सदस्य	सदस्य
11	श्री जितेन्द्र यादव	नामित सदस्य	सदस्य
12	श्री रजनीश कुमार राठौर	नामित सदस्य	सदस्य

बैठक हेतु कोरम पूर्ण है। अतः अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)/सचिव, श्री एस0 के0 सिंह द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यो का स्वागत किया गया। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

<u>बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत एजेण्डा के विभिन्न मदों पर कार्यवाही एवं निर्णय निम्नानुसार है :–</u>

मद संख्या 48.01 विगत 47वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 31.07.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्रस्ताव पर सभी सदस्यों की सहमति से विगत बोर्ड बैठक दिनॉक 31.07.2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी ।

मद संख्या 48.02 विगत 47वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 31.07.2012 की कार्यवाही की अनुपालन आख्या

प्राधिकरण की विगत 47वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 31.07.2012 मे लिये गये निर्णयो/निर्देशो के क्रम में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया एवं निम्न बिन्दुओ पर निर्देश दिये गये :–

<u>मद सं0 47.02 (37.02 – ग) –</u>

उन्नाव–शुक्लागंज विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित शुक्लागंज मगरवारा इत्यादि क्षेत्रों को कानपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करने से उत्पन्न हुई विसंगतियों के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा उन्नाव विकास क्षेत्र की प्रस्तावित महायोजना 2031 जो कि विगत कई वर्षो से लम्बित है, के संबंध में विचार–विमर्श किया गया एवं निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, लखनऊ व सचिव, उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण 15 दिन के अन्दर बैठक कर महायोजना की सीमा निर्धारण कर विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन को स्वीकृतार्थ भिजवाये, महायोजना हेतु वर्ष 2005 में सेटेलाइट सर्वे का कार्य किया गया था, जो कि वर्तमान तक निष्प्रभावी हो गया है, पर पुनः सर्वे करने की आवश्यकता है, पर शीघ्र प्रभावी कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

मद संख्या 48.03 वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट का अनुमोदन

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु परिचालन से स्वीकृत बजट का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में वास्तविक आय–व्यय की गणना के साथ पुनः बजट प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या 48.04 **प्राधिकरण में स्वीकृत होने वाले मानचित्रो पर लिये जाने वाले शुल्को में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का अनुमोदन परिचालन के माध्यम से प्राप्त कर ली गयी है प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।**

प्राधिकरण में स्वीकृत होने वाले मानचित्रो पर लिये जाने वाले शुल्को में बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव का अनुमोदन परिचालन के माध्यम से प्राप्त किया गया था। जिसका बोर्ड द्वारा अवलोकन व अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 48.05 **प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में लिये जा रहे मानचित्र दाखिला शुल्क में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त मानचित्र दाखिला शुल्क में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकनोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

उपयोग	बोर्ड बैठक दिनॉक 11.06.2007 में स्वीकृत दरें (आच्छादित क्षेत्रफल पर – प्रति वर्ग मी0)	अनुमोदित दरें (आच्छादित क्षेत्रफल पर – प्रति वर्ग मी0)
आवासीय	रू0 5/–	रू0 8/–
शैक्षणिक	रू0 2.50	रू0 4/–
आवासीय सह व्यवसायिक	रू0 15/–	रू0 24/–
कार्यालय	रू0 15/–	रू0 24/–
व्यवसायिक	रू0 20/–	रू0 32/–
बहुखण्डीय भवनों में 26 मी0 ऊॅचाई तक	रू0 10/–	रू0 16/–
बहुखण्डीय भवनों में 37 मी0 ऊॅचाई तक	रू0 15/–	रू0 24/–
बहुखण्डीय भवनों में 45 मी0 ऊॅचाई तक	रू0 20/–	रू0 32/–
बहुखण्डीय भवनों में 45 मी0 ऊॅचाई से अधिक	रू0 25/–	रू0 40/–
औद्योगिक भूखण्डों हेतु 1000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिये	रू0 5000/–	रू0 8000/–
औद्योगिक भूखण्डों हेतु 1000 वर्ग मी0 क्षेत्रफल से अधिक	रू0 10,000/–	रू0 16,000/–
तल पट मानचित्र शुल्क	रू0 1000/– प्रति हेक्टेयर	रू0 2000/– प्रति हेक्टेयर

मद संख्या 48.06 उन्नाव–शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भवन/तलपट मानचित्रों की स्वीकृति के समय लिये जाने वाले वाह्य विकास शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श किया गया तथा वाह्य विकास शुल्क रू0 178/– प्रतिवर्ग मीटर के प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। विचार विमर्श में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित दरे कम है, चूँकि उन्नाव जनपद दो महानगरो लखनऊ तथा कानपुर के मध्य में स्थित है। अतः भविष्य में शहर के विकास को दृष्टिगत रखते हुये पुनः आगामी बोर्ड बैठक में दरो की वास्तविकता के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या 48.07 उन्नाव–शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत सबडिवीजन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त उन्नाव–शुक्लागंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत होने वाले मानचित्रो पर लिये जाने वाले सबडिवीजन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार अनुमोदन किया गया। यह दरें दिनॉक 16.09.2013 के उपरान्त स्वीकृत होने वाले मानचित्रो पर लागू होगे।

क्र.सं.	क्षेत्र	भू–विभाजन शुल्क
1	निर्मित क्षेत्र/ स्वीकृत कालोनी	आवासीय हेतु 1.0 प्रतिशत, व्यवसायिक हेतु 2.0 प्रतिशत, कार्यालय हेतु 1.5 प्रतिशत, औद्योगिक हेतु 0.40 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 0.50 प्रतिशत।
2	विकासशील क्षेत्र	आवासीय हेतु 3.0 प्रतिशत, व्यवसायिक हेतु 5.0 प्रतिशत, कार्यालय हेतु 4.0 प्रतिशत, औद्योगिक हेतु 1.20 प्रतिशत एवं अन्य हेतु 1.50 प्रतिशत।

मद संख्या 48.08 आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंगहोम की स्थापना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश दिनॉक 21.11.2011 एवं दिनॉक 18.01.2012 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

आवासीय क्षेत्रो में नर्सिंगहोम की स्थापना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेशो को अंगीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 48.09 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय–

निराला प्रेक्षागृह के मरम्मत/जीर्णोद्धार किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निराला प्रेक्षागृह के मरम्मत/जीर्णोद्धार पर आवस्थापना मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 10:00 लाख व्यय किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2011–12 की बैलेंस शीट का अवलोकन।

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 की बैलेंस शीट अवलोकित की गयी।

अन्त में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(एस0 के0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0)/
सचिव
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

(विजय किरन आनन्द)
जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव

अनुमोदित।

(संजीव सरन)
आयुक्त, लखनऊ मण्डल/अध्यक्ष
उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण,
उन्नाव